


28/8/19

उपसभ अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन दिये कि स्याई निचे दावा जारी की जावे। शर्तों पर धारा 212 राज. कानून अधिनियम पर बहस अधिवक्ता वादीजग सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सभी तथ्यों पर भ्रमण करने पर शर्त में जारी आदेश दिनांक 17/11/2018 को स्याई किया जाता है। तथा धूल काढ़ के अन्तिम निस्तारण तक रकॉर्ड एवं मॉके की यथास्थिति वकील दरवेन हेतु उपार्थी लखनऊ को पाबंद किया जाता है। मिराल फौजल शुमार टोकर नगवा ले कम ही काढ़ वफावर दारिख ही। तथा धूल काढ़ के साथ नहीं है।


(मोहनलाल चटनावालिया)
उपसभ अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

